रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012021-224171 CG-DL-E-04012021-224171

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] No. 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 1(अ).—सरकारी प्रापण में देशी निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु नीति (डीएमआई एंड एसपी नीति) – परिशोधित, 2019 में संशोधनों को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

"सं. S-13026/1/-2020-आईडीडी

इस्पात मंत्रालय

आईडी प्रभाग

उद्योग भवन.

नई दिल्ली 31 दिसंबर. 2020

विषय : सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लौहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति-परिशोधित, 2019-में संशोधन/परिवर्धन

सरकारी खरीदमें स्वदेशी निर्मित लौहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति-परिशोधित, 2019-(डीएमआईएंडएसपी परिशोधित, 2019) में निम्नलिखित संशोधन/ परिवर्धन तत्काल प्रभाव से लागू हैं। ये संशोधन/

3 GI/2021 (1)

परिवर्धन ऐसी निविदा या खरीद पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस अथवा अन्य प्रकार का खरीद अधियाचन इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व जारी हुआ है।

I – संशोधन:तालिका 1

डीएमआईएंडएसपी परिशोधित 2019 ,में मौजूदा खंड डीएमआईएंडएसपी परिशोधित 2019 .में संशोधित सं. 1 खंड 1.3: खंड 1.3: यह नीति सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग और यह नीति सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/ और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी प्रतिष्ठानों तथा सरकारी परियोजनाओं के वास्ते लौह एवं एजेंसियों/ प्रतिष्ठानों तथा सरकारी परियोजनाओं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए इन एजेंसियों द्वारा के वास्ते लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं पर लागू है। हालांकि, यह नीति इन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं पर वाणिज्यिक पुन: बिक्री के उद्देश्य से अथवा वाणिज्यिक बिक्री लागू है। केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं (सीएस)/ के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से किन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिनके लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद पर लागु नहीं होगी। लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति की परिधि में आएंगी यदि उस परियोजना/योजना को भारत सरकार द्वारा पुर्णतया/ अंशत: वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, यह नीति वाणिज्यिक पुन: बिक्री के उद्देश्य से अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद पर लागू नहीं होगी। खंड 2.13: खंड 2.13: घरेलू मूल्यवर्धन निवल बिक्री कीमत(निवलघरेलू करों और घरेलू मूल्यवर्धन का तात्पर्य है- भारत में वर्धित मूल्य शुल्कों को छोड़कर बीजक कीमत) होगी जिससे प्रतिशत में की राशि जो खरीदी/बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल निवल बिक्री कीमत के एक अनुपात के रूप में भारत में |मूल्य होगा (निवल घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोडकर)-निर्माण संयंत्र(सभी सीमा शुल्कों सहित) में आयात की गई खरीदी/बेची जाने वाली वस्तुओं के कुल मुल्य के इनपुट सामग्री की पहुंच लागत घटाई गई हो, 'घरेलू समानुपात के रूप में प्रतिशत में मद में आयातित मुल्यवर्धन'परिभाषा डी पी आई आई टी (पुर्व में डी आई पी सामग्री का मुल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित)। घरेल पी) के दिशानिर्देशों के अनुरूपहोगी और उसमें भविष्य में डी मुल्यवर्धन निवल बिक्री कीमत (निवल घरेलू करों पी आई आई टी द्वारा परिवर्तन किये जाने की स्थिति में ∣और शुल्कों को छोड़कर बीजक कीमत) होगी जिससे उपयुक्त रूप से संशोधन किया जायेगा। इस नीति दस्तावेज प्रतिशत में निवल बिक्री कीमत के एक अनुपात के के प्रयोजन के लिए घरेलूमूल्यवर्धन और स्थानीय विषय रूप में भारत में निर्माण संयंत्र (सभी सीमा शुल्कों वस्तु का उपयोग एक दुसरे के स्थान पर किया गया है। सहित) में आयात की गई इनपुट सामग्री की पहुंच लागत घटाई गई हो, 'घरेलू मूल्यवर्धन'परिभाषा डी पी आई आई टी (पूर्व में डी आई पी पी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी और उसमें भविष्य में डी पी आई आई टी द्वारा परिवर्तन किये जाने की स्थिति में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जायेगा। इस नीति दस्तावेज के प्रयोजन के लिए घरेल् मूल्यवर्धन और स्थानीय विषय वस्तु का उपयोग एक दुसरे के स्थान पर किया गया है।

खंड 5.1.5

यह नीति सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग के द्वारा वित्त-यह नीति सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग के द्वारा पोषित सभी परियोजनाओं और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के वित्त पोषित सभी परियोजनाओं और उनके अधीन सभी एजेंसियों/ प्रतिष्ठानों पर लौह एवं इस्पातप्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/ उत्पादों की खरीद के लिए लाग है।

खंड 5.1.5

प्रतिष्ठानों पर लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए लागु है।केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं (सीएस)/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है. इस नीति की परिधि में आएंगी यदि उस परियोजना/योजना को भारत सरकार द्वारा पूर्णतया/ अंशत: वित्तपोषित किया जाता है

खंड 5.1.6

यह नीति उन परियोजनाओं पर लागृ होगी जहां लौह एवंयह नीति उन परियोजनाओं पर लागृ होगी जहां लौह इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक<mark>एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी नीति का</mark> होता हो। यह नीति अन्य खरीद (गैर परियोजना) के लिए भी परिशिष्ट-क) का खरीद मृल्य 5लाख रुपए से अधिक लागू होगी जहां उस सरकारी संगठन के लिए लौह एवं|होता हो। यह नीति अन्य खरीद (गैर परियोजना) के इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मुल्य 25 करोड़ रुपए से|लिए भी लागू होगी जहां उस सरकारी संगठन के अधिक होता हो।

खंड 5.1.6

लिए लौह एवं इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मुल्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होता हो। तथापि, प्रापण इकाइयों द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के प्रयोजनार्थ खरीद का विभाजन न किया जाए।

खंड 7.2

घरेलु मुल्यवर्धन निवल बिक्री कीमत (निवल घरेलु करों औरघिरेलु मुल्यवर्धन का तात्पर्य है- भारत में वर्धित मुल्य शुल्कों को छोड़कर बीजककीमत) होगी जिसमें से प्रतिशत में<mark>|</mark>की राशि जो खरीदी/बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल निवल बिक्री कीमत के एक अनुपात केरूप में भारत में मूल्य होगा (निवल घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोडकर)-निर्माण करने वाले संयंत्र में आयात की गई इनपुट सामग्री की खरीदी/बेची जाने वाली वस्तुओं के कुल मुल्य के पहुंच लागत (सभी सीमा शुल्कों को शामिल करते हुए) घटाई|समानुपात के रूप में प्रतिशत में मद में आयातित जायेगी।

खंड 7.2

सामग्री का मल्य (सभी सीमा शल्कों सहित)।

खंड 7.3

यह सिफारिश की जाती है कि निविदा की प्रक्रिया में भागयह सिफारिश की जाती है कि प्रापण करने वाली लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीचे दिए गए सूत्र का सरकारी एजेंसी/ निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने उपयोग करते हुए घरेलू मूल्यवर्धन की गणना करनी चाहिएवाले प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीचे दिए गए सूत्र ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावा किये गये घरेलुका उपयोग करते हुए घरेलु मुल्यवर्धन की गणना मुल्यवर्धन इस नीति के न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुरूप है।

खंड 7.3

दावा किये गये घरेलु मुलयवर्धन इस नीति के न्युनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के अनुरूप है।

लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए % घरेलू मूल्यवर्धन

गये लौह अथवा इस्पात की पहुंच लागत-X100%

लौह एवं इस्पात उत्पादों तथा पूंजीगत माल के लिए % घरेलु मुल्यवर्धन

अंतिम उत्पाद की निवल बिक्री कीमत- संयंत्र में आयात किये ख्रीदी/बेची जाने वाली वस्तु का कुल मूल्य (निवल घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर - मद में आयातित सामग्री का मुल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) ----------X100%

अंतिम उत्पाद की निवल ब्रिकी कीमत	खरीदी/बेची जाने वाली वस्तु का कुल मूल्य
पूंजीगत माल के लिए	
% घरेलू मूल्यवर्धन	
अंतिम उत्पाद की निवल ब्रिकी कीमत- संयंत्र में आयात किये	
गये इनपुट सामग्री की पहुंच लागतX	
100%	
अंतिम उत्पाद की निवल ब्रिकी कीमत	

॥ डीएमआईएंडएसपी परिशोधित, 2019 के परिशिष्ट क में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:- जहां कहीं न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन आवश्यकता कॉलम के अंतर्गत डीएमआईएंडएसपी परिशोधित, 2019 के परिशिष्ट क में 15% का न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन विनिर्दिष्ट होगा, वहां उसे 20% न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा (परिशोधित परिशिष्ट-क संलग्न है)

III– परिवर्धन/सन्निवेशन: तालिका 2

क्रम सं	डीएमआईएंडएसपी परिशोधित, 2019 में शामिल/जोड़े गये खंड		
1	खण्ड 5.1.13 को खण्ड 5.1.12 के नीचे निम्नवत जोड़ा जाता है:		
	खण्ड 5.1.13: लोहे और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा इन्क्वायरी (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी (डीएमआईऔर एसपीनीति का परिशिष्ट-क)। लोहे और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण जिनका अनुमानित मूल्य 200 करोड़ रु तक हो, (डीएमआई और एसपी नीति के परिशिष्ट- ख) के लिए पूंजीगत सामानों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा इन्क्वायरी (जीटीई) व्यय विभाग द्वारा यथा नाम-निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अलावा आमंत्रित नहीं की जाएगी,		
2	खंड6.9 को खंड 6.8 के नीचे निम्नवत जोड़ा जाता है:		
	खंड 6.9: निविदाओं और अन्य खरीद अधियाचनों में विनिर्देशन:		
	6.9.1 प्रत्येक क्रय इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी निविदा या अधियाचन में निर्धारित पिछले अनुभव के संबंध में पात्रता की शर्तों हेतु अन्य देशों में आपूर्ति के प्रमाण या निर्यात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।		
	6.9.2 क्रय इकाइयाँ यह देखने का प्रयास करेंगी कि पात्रता की शर्तें, जैसे टर्नओवर, उत्पादन क्षमता और वित्तीय ताकत जैसे मामलों में वैसे स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अनुचित अपवर्जन नहीं होता है 'जो आपूर्तिकर्ता की गुणवत्ता या साख संबंधी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक है, उससे परे अन्यथा पात्र होंगे।		
	6.9.3 क्रय इकाइयाँ, इस नीति के जारी होने के 2 महीने के भीतर ऊपर उप-पैराग्राफ 6.9.1 और 6.9.2 के संदर्भ में सभी मौजूदा पात्रता मानदंडों और शर्तों की समीक्षा करेंगी।		
	6.9.4 यदि इस्पात मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि लौह और इस्पात उत्पादों के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंधात्मक निविदा शर्तों के कारण किसी भी विदेशी सरकार द्वारा खरीद में भाग लेने और / या प्रतिस्पर्धा करने की अनुमित नहीं है, जिसका भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित करने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्रापण देश में पंजीकरण, प्रापण देश इत्यादि में विशिष्ट मूल्य की परियोजना का निष्पादन इत्यादि। यदि उपयुक्त समझा जाएगा तो उस देश के बोलीदाताओं को इस्पात मंत्रालय से संबंधित उस वस्तु तथा/ या अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए पात्रता से प्रतिबंधित या अपवर्जित किया जा सकता है।		
	6.9.5 ऊपर उप-पैरा 6.9.4 के प्रयोजन से, किसी आपूर्तिकर्ता या बोलीदाता को उस देश से माना जाएगा यदि (i) इकाई को उस देश में निगमित किया गया है, या (ii) उसकीशेयरधारिता या इकाई काप्रभावी नियंत्रण उस देश से किया जाता है; या (iii) आपूर्ति की जा रही वस्तु के मूल्य का 50% से अधिक उस देश में शामिल किया गया है। भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का अर्थ उन संस्थाओं से होगा जो भारत के संबंध में इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा करते हैं। किसी देश की इकाई (एन्टिटी) शब्द का अर्थ वहीं होगा जो डीपीआईआईटी की एफडीआई नीति के तहत समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत है।		

3 खंड 6.10 कोखंड 6.9 के नीचे निम्नवत जोड़ा जाता है:

खंड 6.10: यदि घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक या भेदभावपूर्ण शर्तों को बोली दस्तावेजों में शामिल किया जाता है, तो उस के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए खरीद (इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी ईकाई द्वारा खरीद सहित) करने वाले प्रशासनिक विभाग द्वारा जांच शुरू की जाएगी। तत्पश्चात, संबंधित प्रावधानों के तहत खरीद संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ उचित, प्रशासनिक या अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सभी कार्रवाई की सूचना डीएमआई और एसपी नीति के तहत स्थायी समिति को भेजी जाएगी।

संशोधित परिशिष्ट क - घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों के लिए विशिष्ट रूप से

क्र. सं.	लौह एवं इस्पात उत्पादों की सांकेतिक सूची	लागू एच एस कोड	न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता
1	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, हॉट रोल्ड, न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7208	50%
2	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, कोल्ड रोल्ड (कोल्ड - कम किया हुआ), न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7209	50%
3	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7210	50%
4	600 मि. मी. से कम की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7211	35%
5	600 मि. मी. कम की चौड़ाई का लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोड किया हुआ	7212	35%
6	लौह एवं गैर एलॉय इस्पात का अनियमित रूप से ऐंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7213	35%
7	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात के अन्य बार्स और रॉड्स जिसे फोर्ज किए जाने की तुलना में आगे अधिक वर्क नहीं किया हुआ, हॉट रोल्ड, हॉट ड्रॉन अथवा हॉट एक्सटूडेड परंतु रोलिंग के बाद उसे टिविस्ट किये जाने सहित	7214	35%
8	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का अन्य बार्स एंड रोड्स	7215	35%
9	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का एंगल, शेप और सेक्शन्स	7216	35%
10	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का तार	7217	50%
11	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पातका फ्लेट रोल्ड इस्पात	7219	50%
12	600 मि. मी. से कम की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पातका फ्लेट रोल्ड इस्पात	7220	50%
13	स्टेनलैस स्टील का अन्य बार्स और रोड्स; स्टेनलैस स्टील का एंगल शेप और सेक्शन्स	7222	50%
14	अन्य एलॉय इस्पात का तार	7229	35%
15	लौह अथवा इस्पात को रेल, रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रेक निर्माण सामग्री	7302	50%

16	कास्ट लौह का ट्यूब, पाइप और होलो पाइप	7303	35%
17	लौह (कास्ट आयरन को छोड़कर) अथवा इस्पात का ट्यूब पाइप और होलो प्रोफाइल, सीमलैस	7304	35%
18	लौह अथवा इस्पात का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्ड किया हुआ, रिवेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ), जिसकी बाहरी त्रिज्या 406.4 मि. मी. से अधिक हो	7305	35%
19	लौह अथवा इस्पात के अन्य ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल (उदाहरण के लिएओपन सीन अथवावेल्ड किया हुआ, रिवेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ)	7306	35%
20	लौह अथवा इस्पात का ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कनेक्टर/ कप्लिंग, एल्बो स्लीव्स)	7307	35%
21	स्टेनलैस स्टील का अनियमित रूप से ऐंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7221	35%
22	स्टेनलैस स्टील का वायर	7223	35%
23	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले अन्य एलॉय स्टील का फ्लेट रोल्ड इस्पात	7225	35%
24	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि. मी. से कम की चौड़ाई वाले अन्य एलॉय स्टील का फ्लेट रोल्ड इस्पात	7226	35%
25	अन्य एलॉय स्टील का अनियमित रूप से ऐंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रोड, हॉट रोल्ड	7227	20%
26	अन्य एलॉय स्टील का अन्य बार्स और रोड्स; अन्य एलॉय स्टील का एंगल, शेप्स और सेक्शन्स; एलॉय अथवा नॉन एलॉय स्टील का होलो ड्रील बार्स और रोड्स	7228	35%
27	लौह अथवा इस्पात की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रील किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे पंच किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे असेम्बल किये हुए तत्वों से बना हुआ हो अथवा नहीं; लौह अथवा इस्पात का वेल्ड किया हुआ एंगल, शेप और सेक्शन्स	7301	20%
28	स्ट्रक्चर्स (9406 के शीर्ष का प्रीफेबरिकेटिड भवनों को छोड़कर) और स्ट्रक्चर्स का हिस्सा	7308	20%
29	300 से अधिक क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा सरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए भंडार, टैंक, वैट और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त नहों	7309	20%
30	अधिकतक 300 लीटर की क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा सरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए टैंक, कास्ट, ड्रम, केन, बॉक्स और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7310	20%
31	लौह अथवा इस्पात का कम्प्रेस किया हुआ अथवा सरलीकृत गैस के लिए कन्टेनर	7311	20%

			_
32	लौह अथवा इस्पात का स्टेंडिड वायर, रोप, केबल, प्लेटिड बैंड, स्लिंग और उसके समान वस्तु जिसे विद्युतीय रूप से इन्सुलेट न किया गया	7312	20%
33	लौह अथवा इस्पात का फेनसिंग के लिए उपयोग किये जाने वाला बार किया हुआ वायर; ट्विस्ट किया हुआ हूप अथवा सिंगल फ्लेट वायर, बार्स किया हुआ अथवा नहीं और लूज तरीके से ट्विस्ट किया हुआ डबल वायर	7313	20%
34	लौह अथवा इस्पात तार का ड्रील, नेटिंग और फेनसिंग; लौह अथवा इस्पात का विस्तार किया हुआ धातु	7314	20%
35	लौह अथवा इस्पात का चैन और उसका हिस्सा	7315	20%
36	लौह अथवा इस्पात का टैंकर, ग्रेपनेल्स और उसका हिस्सा	7316	20%
37	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7317	20%
38	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7318	20%
39	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7319	20%
40	लौह अथवा इस्पात का स्प्रिंग और स्प्रिंग के लिए लीव्स	7320	20%
41	लौह अथवा इस्पात का स्टोव्स, रेंज, ग्रेड, कूकर (केंद्रीय हिटिंग के लिए सहायक बायलरों के साथ उन वस्तुओं सिहत), बारबेक्यूज, ब्रेजियर्स, गैस रिंग, प्लेट वामर्स और समान गैर-विद्युतीय घरेलू उपकरण और उसका हिस्सा	7321	20%
42	लौह अथवा इस्पात का केंद्रीय हिटिंग के लिए रेडियेटर जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो और उसका हिस्सा; लौह अथवा इस्पात का हेयर हीटर और हॉट एयर वितरक जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो, फेन अथवा ब्लोअर जो मोटर से चलती हो और उसके हिस्से को शामिल करते हुए	7322	20%
43	लौह अथवा इस्पात का टेबल और समान घरेलू वस्तुएं और उसका हिस्सा	7323	20%
44	लौह अथवा इस्पात का सेनेटरी वेयर और उसकेपार्टस	7324	20%
45	लौह अथवा इस्पात का अन्य कास्ट सामान	7325	20%
46	लौह अथवा इस्पात का विद्युतीय इस्पात और अन्य वस्तु	7326	20%
47	रेलवे अथवा ट्रामवे पेसेंजर कोच जो स्वयं आगे नहीं बढ़ता हो	8605	50%
48	रेलवे अथवा ट्रामवे माल वेन और वेगेन जो स्वयं आगे नहीं बढ़ता हो	8606	50%
49	रेलवे अथवा ट्रामवे लोकोमोटिव का हिस्सा अथवा रोलिंग स्टॉक जैसे बोगिज, बिसल बोगिज, एक्सेल और फोज्ड किया हुआ पहिया और उसका हिस्सा	8607	50%

विवरणों में शामिल किए गए उत्पाद सांकेतिक हैं, विनिर्दिष्ट एच एस कोड के अंतर्गत सभी उत्पादों को परिशिष्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया है।"

> [फा. सं. एस-13026/1/2020-आईडीडी] रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

G.S.R. 1(E).—The amendments in the Policy for providing preference to domestically manufactured Iron & Steel products in Government procurement (DMI&SP Policy)–Revised, 2019 is hereby published for general information.

"No. S-13026/1/2020- IDD Ministry of Steel ID Division

Udyog Bhawan,

New Delhi 31st December, 2020

Sub.: Amendments / additions to the Policy for Providing Preference to Domestically Manufactured Iron & Steel Products in Government Procurement - revised, 2019

The following amendments / additions to the Policy for Providing Preference to Domestically Manufactured Iron & Steel Products in Government Procurement - revised, 2019 (DMI&SP revised, 2019) are applicable with immediate effect. These amendments / additions shall not apply to any tender or procurement for which notice inviting tender or other form of procurement solicitation has been issued before the issue of this notification.

I - Amendments: Table 1

Sl.	Existing Clause in DMI&SP revised, 2019	Amended Clause in DMI&SP revised, 2019		
1 1	Clause 1.3: The policy is applicable to every Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control and to projects funded by these agencies for purchase of iron & steel products for government projects. However, this policy shall not apply for purchase of iron & steel products with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.	Clause 1.3: The policy is applicable to every Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control and to projects funded by these agencies for purchase of iron & steel products for government projects. All Central Sector Schemes (CS)/Centrally Sponsored Schemes (CSS) for which procurement is made by States and Local Bodies, would come within the purview of this Policy, if that project / scheme is fully / partly funded by Government of India. However, this policy shall not apply for purchase of iron & steel products with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.		
2	Clause 2.13: Domestic value addition shall be the net selling price (invoiced price excluding net domestic taxes and duties) minus the landed cost of imported input materials at the manufacturing plant in India (including all customs duties) as a proportion of the net selling price, in percent. The 'domestic value addition' definition shall be in line with the DPIIT(formerly DIPP) guidelines, and shall be suitably amended in case of any changes by DPIIT in the future. For the purpose of this policy document, domestic value addition and local content have been used interchangeably.	Clause 2.13: Domestic value addition means amount of value added in India which shall be the total value of the item to be procured / sold (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value of the item to be procured / sold, in percent. The 'domestic value addition' definition shall be in line with the DPIIT (formerly DIPP) guidelines, and shall be suitably amended in case of any changes by DPIIT in the future. For the purpose of this policy document, domestic value addition and local content have been used interchangeably.		

	The policy is applicable to all projects funded by Ministry or Department of Government and all agencies/ entities under their administrative control for purchase of iron & steel products.	Clause 5.1.5: The policy is applicable to all projects funded by Ministry or Department of Government and all agencies/ entities under their administrative control for purchase of iron & steel products. All Central Sector Schemes (CS)/Centrally Sponsored Schemes (CSS) for which procurement is made by States and Local Bodies, would come within the purview of this Policy, if that project / scheme is fully / partly funded by Government of India.
2	Clause 5.1.6: The policy shall be applicable to projects where the procurement value of iron and steel products is greater than Rs. 25 crores. The policy shall also be applicable for other procurement (non-project), where annual procurement value of iron and steel products for that Government organization is greater than Rs. 25 crores.	Clause 5.1.6 The policy shall be applicable to projects where the procurement value of iron and steel products (Appendix - A of the DMI&SP Policy) is greater than Rs. 5 lakhs. The policy shall also be applicable for other procurements (non-project), where annual procurement value of iron and steel products for that Government organization is greater than Rs. 5 lakhs. However, it shall be ensured by procuring entities that procurement is not split for the purpose of avoiding the provisions of this policy.
-	Clause 7.2: Domestic value addition shall be the net selling price (invoiced price excluding net domestic taxes and duties) minus the landed cost of imported input materials at the manufacturing plant in India (including all customs duties) as a proportion of the net selling price, in per cent.	Clause 7.2: Domestic value addition means - amount of value added in India which shall be the total value of the item to be procured / sold (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value of the item to be procured / sold, in percent.
(Clause 7.3: It is recommended that each bidder participating in the tender process should calculate the domestic value addition using the below formula below so as to ensure the domestic value addition claimed is consistent with the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy. For iron and steel products	Clause 7.3: It is recommended that procuring Government agency / bidder participating in the tender process should calculate the domestic value addition using the below formula so as to ensure that the domestic value addition claimed is consistent with the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy.
	% domestic value addition	For iron and steel products& capital goods
	Net selling price of final product - landed cost	% domestic value addition
	of imported iron or steel at the plant	Total value of the item to be procured / sold (excluding net domestic indirect taxes) - the value of imported content in the item (including all customs duties)
	% domestic value addition	X 100 %
	Net selling price of final product - landed cost of imported iron or steel at the plant	Total value of the item to be procured / sold
1		

II - Following amendment is made to the Appendix A of the DMI&SP revised, 2019: Wherever minimum domestic value addition of 15% is specified in the Appendix - A of the DMI&SP revised, 2019 under the column Minimum domestic value addition requirement, same shall be replaced with 20% minimum domestic value addition). (Revised Appendix - A is attached)

Net selling price of final product

III - Additions / Insertions: Table 2

Sl. No. Added / Inserted Clause in DMI&SP revised, 2019 Clause 5.1.13 is inserted below Clause 5.1.12 as: Clause 5.1.13: No Global Tender Enquiry (GTE) shall be invited for tenders related to procurement of iron and steel products (Appendix-A of the DMI&SP Policy). No Global Tender Enquiry (GTE) shall be invited for tenders related to procurement of Capital Goods for manufacturing iron & steel products (Appendix- B of the DMI&SP Policy) having estimated value upto Rs. 200 Crore except with the approval of competent authority as designated by Department of Expenditure. Clause 6.9 is inserted below Clause 6.8 as: Clause 6.9: Specifications in Tenders and other procurement solicitations: Every procuring entity shall ensure that the eligibility conditions in respect of previous experience fixed in any tender or solicitation do not require proof of supply in other countries or proof of exports. Procuring entities shall endeavour to see that eligibility conditions, including turnover, production capability and financial strength do not result in unreasonable exclusion of local supplier' who would otherwise be eligible, beyond what is essential for ensuring quality or creditworthiness of the supplier. Procuring entities shall, within 2 months of the issue of this policy review all existing eligibility norms and conditions with reference to sub-paragraphs 6.9.1 and 6.9.2 above. 6.9.4 If Ministry of Steel is satisfied that Indian suppliers of iron and steel products are not allowed to participate and/ or compete in procurement by any foreign government due to restrictive tender conditions which have direct or indirect effect of barring Indian companies such as registration in the procuring country, execution of project of specific value in the procuring country etc., it may, if deemed appropriate, restrict or exclude bidders from that country from eligibility for procurement of that item and/ or other items relating to Ministry of Steel. For the purpose of sub-paragraph 6.9.4 above, a supplier or bidder shall be considered to be from a country if (i) the entity is incorporated in that country, or (ii) a majority of its shareholding or effective control of the entity is exercised from that country; or (iii) more than 50% of the value of the item being supplied has been added in that country. Indian suppliers shall mean those entities which meet any of these tests with respect to India. The term 'entity' of a country shall have the same meaning as under the FDI Policy of DPIIT as amended from time to Clause 6.10 is inserted below Clause 6.9 as: Clause 6.10: In case restrictive or discriminatory conditions against domestic suppliers are included in bid documents, an inquiry shall be conducted by the Administrative Department undertaking the procurement (including procurement by any entity under its administrative control) to fix responsibility for same. Thereafter, appropriate action, administrative or otherwise,

IV - Revised Appendix A - Exclusive for domestically manufactured products

Sl. No	Indicative list of Iron X7 Steel Products		Minimum domestic value addition requirement
1	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot rolled, not clad, plated or coated	7208	50%
2	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600	7209	50%

shall be taken against erring officials of procurement entities under relevant provisions. Intimation

on all such action shall be sent to the Standing Committee under the DMI&SP Policy.

	mm or more, cold rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated		
3	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	7210	50%
4	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated	7211	35%
5	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated	7212	35%
6	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel	7213	35%
7	Other bars and rods of iron or non alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	7214	35%
8	Other bars and rods of iron or non alloy steel	7215	35%
9	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	7216	35%
10	Wire of iron or non-alloy steel	7217	50%
11	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	7219	50%
12	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm	7220	50%
13	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	7222	50%
14	Wire of other alloy steel	7229	35%
15	Rails, railway or tramway track construction material of iron or steel	7302	50%
16	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	7303	35%
17	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	7304	35%
18	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel	7305	35%
19	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	7306	35%
20	Tube or pipe fittings (for example, connectors/couplings, elbow sleeves), of iron or steel	7307	35%
21	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	7221	35%
22	Wire of stainless steel	7223	35%
23	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more, including electrical steel	7225	35%
24	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm, including electrical steel	7226	35%
25	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	7227	20%

26	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or nonalloy steel	7228	35%
27	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel	7301	20%
28	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures	7308	20%
29	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with mechanical or	7309	20%
	Thermal equipment		
30	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment	7310	20%
31	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel	7311	20%
32	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated	7312	20%
33	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel	7313	20%
34	Grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel	7314	20%
35	Chain and parts thereof, of iron or steel	7315	20%
36	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel	7316	20%
37	Articles of iron and steel	7317	20%
38	Articles of iron and steel	7318	20%
39	Articles of iron and steel	7319	20%
40	Springs and leaves for springs, of iron or steel	7320	20%
41	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel	7321	20%
42	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors, not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel	7322	20%
43	Tables and similar household articles and parts thereof, of iron or steel	7323	20%
44	Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel	7324	20%
45	Other cast articles of iron or steel	7325	20%

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

46	Electrical steel and other articles of iron or steel	7326	20%
47	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled	8605	50%
48	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled	8606	50%
49	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as bogies, bissel-bogies, axles and forged wheels, and parts thereof		50%

Products included in descriptions are indicative; all products under the specified HS codes are included as part of the appendix."

[F. No. S-13026/1/2020-IDD] RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.